



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092026-276324
CG-DL-E-18092026-276324

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4934]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4934]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

का.आ. 5140(अ).— पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की दिनांक 08 जनवरी, 2025 की अधिसूचना सं.का.आ.140(असा.) के क्रम में केन्द्र सरकार, लोकहित में पेट्रोलियम का आयात करने की आवश्यकता के मद्देनजर, एतद्वारा गुजरात में सिक्का पत्तन {मैसर्स सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल लिमिटेड} के लिए समुद्र मार्ग से भारत में पेट्रोलियम के आयात संबंधी अधिसूचना को पीईएसओ की अनुमति की वैधता के बराबर अवधि के लिए बढ़ाती हैं।

[फा. सं. पीडी-25018/2/2018-पीडी-VII (ई 333095)]

वेंकटसपति एस., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2026

S.O. 5140(E).— In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. S.O. 140(E) dated 8th January, 2025, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby extends the notification for Sikka Port in Gujarat {M/s Sikka Ports & Terminal Limited} for importing petroleum into India by sea for a period equivalent to the validity of clearance of PESO.

[F. No. PD-25018/2/2018-PD-VII (e 333095)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.